न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास [अलवर]
==================================

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद [आर.ए.एस.]

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
106/412	6-6-06 / 18-3-13	25-9-19

उनवान

1- इस्माईल पुत्र अब्बल

2- ईसाक पुत्र सुलतान ------ मृतक

2/1-बसीरी पत्नी ईसाक

2/2-महमूद पुत्र ईसाक

2/3-सोकत पुत्र ईसाक

2/4-दीनू पुत्र ईसाक

2/5- मुस्ताक पुत्र ईसाक

2/6- कश्मीरी पुत्री ईसाक

2/7- हसीरा पुत्री ईसाक

2/8- मुमताज पुत्री ईसाक

3- मुराद पुत्र नवल खां

4- दराज पुत्र नवलखां जाति मेव निवासीयान बाघोड़ा थाना थाघोडा तहसील किशनगढ़-बास [अलवर] :- वादीगण

बनाम

1- श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड अलवर

2- सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड तिजारा जिला अलवर

3- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़- बास

:- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए.

उपस्थिति :- 1- श्री मुकेश सैनी एड. वादीगण की ओर से ।

2- श्री खेमचन्द धामाणी एड. प्रति. की ओर से ।

::निर्णय::

वादीगण ने वाद पेश किया कि आ. ख. नं. 605/1-02, 606/1-03, 607/0-15, तालिम व ख. नं. 604/0-12 में से 05बिस्वा वाके ग्राम बाघोड़ा विवादित आराजी है जो वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिनके नाम का अमल जमाबन्दी सं. 2050 में हो रहा है।

ख. नं. 604/0-12 में से राजस्व कर्मचारियों ने बिना आधार के ख. नं. 604मि. /0-05 बना दिया तथा बाद में सूची पत्र सं. 10 दिनांक

--2--

14-6-05 के द्वारा ख. नं. 604मि./0-05 के बजाय 604/1923/0-05 बना दिया एवं खिलाफ कानून महकमा सिंचाई विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करदिया जिस अमल दखल किया जाकर वादीगण के पक्ष में इन्द्राज किये जाने योग्य है।

वादीगण ने अपने उपरोक्त आराजीयात में से प्रति. नं. 1 को बांध की पाल निर्माण हेतु मिट्टी उठवाई गई थी जिसका मुआवजा वादीगण को नहीं दिया गया। हम वादीगण ने अपनी उपरोक्त आराजी ना तो सिंचाई विभाग को कभी बताई ना ही किसी प्रकार से ट्रासफर की ना ही सिंचाई विभाग को देने की कभी सहमति दी। वादीगण ने केवल मिट्टी उठाने का मुहावजा प्राप्त किया है मुआवजा का गलत आधार लगाकर खिलाफ मौका व कानूने के सिंचाई विभाग ने जमाबन्दी सं. 2058 में अपने नाम गलत अंकन करा लिया इस भूमि की बांध के लिये कोई उपयोगिता भी नहीं है, जो गलत इन्द्राज वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है जिसे वादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण के कर्मचारियान ने हमें धमकी दी है कि भूमि सिंचाई विभाग के नाम है वो वादीगण को जबरन भूमि से बेदखल करेंगे। प्रतिवादीगण सरकारी कर्मचारी है जिनके खिलाफ वाद दायर करने से पूर्व धारा 80 जा.दी.का दो माह का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है यदि दो माह का नोटिस दिया जाता है तो वे वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करलेंगे। इसलिए प्रा. पत्र धारा 80(2) जा.दी पृथक से पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(1) घोषित किया जावे कि आ. ख. नं. 605/1-02, 606/1-03, 607/0-15 के वादी नं. 1 1/2 भाग व वादी नं. 2 मगा. 4 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है व इसी कदर ख नं. 604/1923/0-05 जो ख. नं. 604/0-12 का जुज है वाके ग्राम बाघोडा के वादी नं. 2 मगा. 4 खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे।

(2) करार दिया जावे कि जमाबन्दी सं. 2058-61 व उसके बाद की जमाबन्दीयात में जो गलत इन्द्राज महकमा सिंचाई विभाग हो रहा है वह गलत इन्द्राज वादीगण के अधिकारों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है नाकाबिल पाबन्दी है प्रभाव शून्य है एवं कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम खातेदार दर्ज किया जावे।

—3—

[3] प्रतिवादीगण को जरिये हु.इ.दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण को अम्न चैन का ना करे, ना वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मदाखलत पैदा करें।

[4] खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

[5] दीगर दादरसी जो बमुताबिक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि वादीगण का वाद कतई गलत है स्वीकार नहीं है।

विवादित आराजी की प्रतिवादी सं. 1, 2 को बोरो-सेरिया [बाय पास] सोनपुर मेशन हेतु आवश्यकता पड़ने पर उक्त भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही प्रतिवादी सं. 3 के यहां वाद स्वीकृति कलक्टर महोदय अलवर के यहां की गई और वादीगण को विधिवत आराजी अवाप्ति हेतु नोटिस एवं सूचना जारी किये गये विधिवत सूचना होने पर मुआवजा राशि अदा करते हुये अवाप्त किया गया है। समस्त विधि प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि को अवाप्त किया गया था जिसकी मुआवजा राशि अदा होने पर प्रति. सं. 1, 2 के नाम का अंकन हुआ है जो विधि संगत हुआ है। वादीगण ने भूमि को अवाप्त करने वो मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु सहमति प्रदान की है। जिसके पश्चात् ही महकमा सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित बाजार रेट के आधार पर मुआवजा वादीगण को अदा किया है। जिससे वादीगण पाबन्द हैं। वादीगण द्वारा दिनांक 1-8-97 को अवाप्त किये जाने हेतु पुन सहमति स्टाम्प पेपर पर तहरीर कराते हुये प्रदान की है अवाप्त करने एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने की सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा गलत तथ्यों पर वाद पेश किया है वाद खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावा पेश होने के पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। वादीगण ने साक्ष्य में दराब पुत्र नवलखां पी.डब्लु 1 के बयान कराये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2050 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सं. 2058-61 प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी हाल प्रदर्श 4 पेश किये हैं। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में कृष्ण कुमार सहायक अभि. डी.डब्लु 1 के बयान कराये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ पत्र इस्लाम प्रदर्श 1, पत्र दि. 25-1-91 की छांया प्रति. मुआवजा भुगतान राशि प्राप्त रसीद प्रदर्श 5से 9 स्थाई अवाप्ति का प्रपत्र, भूमि का नक्शा आदि पेश किये हैं।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है।

—4—

Scanned by CamScanner

इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। जब वादीगण तनकी नं. 1, 2, 3 को सिद्ध करने में असफल रहे हैं तो यह तनकी स्वतः ही विरुद्ध वादीगण जाती है जिस पर और विवेचन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 5:- आया आराजी विवादित नियमानुसार बांध के पास निर्माण हेतु अवाप्त की जाकर सिविल मुआवजा दिया गया है. जिसकी सहमति वादीगण ने स्टाम्प पर लिखित में दी है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने अवाप्त किये जाने की कार्यवाही के पत्रादि व मुआवजा भुगतान रसीदात पेश की है तथा सहमति जो वादीगण के द्वारा स्टाम्प पर लिखित में दी गई है उसकी प्रति भी पेश की है। जिनके आधार पर यह तनकी बाखूबी साबित होती है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 6:- आया वाद वादीगण कानूनन चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है। इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब एवं बहस में उल्लेख किया है कि नियमानुसार धारा 80जा.दी. का नोटिस दिये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है इसलिए भी वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वाद वादीगण साबित नहीं होता है वाद साबित न होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः आदेश है कि :-

वाद वादीगण बाबत आ.खं.नं. 605/1-02, 606/1-03, 607/0-15, 604/0-12 वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढ़-बास सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)